



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/SER-2568/MRLY/52/2025-RU-IV

दिनांक : 01.10.2025

सेवा में

श्री कमलेश मीना,
चांदपुर, गीजगढ़, दौसा
राजस्थान -303502,
kamleshm2153@gmail.com
Mobile No:9779596583

विषय: पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स (PLW) में रेलवे बोर्ड की पदोन्नति संबंधी नीति लागू करवा कर प्रार्थी को पदोन्नति देने के संबंध में श्री कमलेश मीना -, वरिष्ठ तकनीशियन/ABS, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स (PLW) का दिनांक 20.07.2025 का पत्रअभ्यावेदन I/

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **09.10.2025 समय 15:10 Hrs** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।

भवदीय

यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
✓NIC for uploading